RESEARCH PAPER | Political Science | Volume : 3 | Issue : 8 | Aug 2013 | ISSN - 2249-555X

भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन
Indian Democracy and Social Change

KEYWORDS: लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, प्रभु जाति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्योग्यता ।

Dr.Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Co-ordinator Deptt- of Political Science, Uttarakhand Open University, Haldwani, Nainital (263139)

ABSTRACT भारत की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाने के संविधान में व्यापक उपबंध किये।इसके साथ ही साथ परंपरागत भारतीय समाज में कुछ विशेष समुदायों के लिए प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं को समाप्त करने हेतु भी उपबंध किये गए, जिससे संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त समान अधिकार का वे उपभोग कर सके।

संवैधानिक रूप से बराबरी का दर्जा ;जिन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त हैद्धप्राप्त होने के कारण अभी तक हासिये पर रहने वाले समुदायों और प्रभु जातियों के बीच के संबंधों की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है।संसदीय लोकतंत्र अपनाने के कारण भारतीय समाज के विविध समुदायों के बीच के संबंधों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इस शोधपत्र में किया गया है

प्रस्तावना

भारत सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुल समाज है।जिसका विभाजन जातियों और उपजातियों में रहा है।इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बीच पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर पदसोपानक्रम पाया जाता रहा है।पदसोपानक्रम से बाहर भी एक समुदाय रहा है।जिसे अनुसूचित जाति कहते है।इनके साथ अछूत का वर्ताव, जो बहुत ही अमानवीय स्तर का रहा है।जिनका तथाकथित उच्च जातियों के आवासीय क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहा है।

परन्तु लोकतंत्र को अपनाए जाने के साथ एक तरफ सामाजिक निर्योग्यताओं को समाप्त करने के लिए संविधान में उपबंध कर संरचनात्मक आधार प्रदान किया गया, तो दूसरी तरफ इन्हें समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करके तथाकथित उच्च जातियों के समक्ष लाकर खडा कर दिया।इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप अब उच्च जातियों को अपनी सामाजिक हैसियत को बनाए रखने के लिए राजनीतिक सफलता नितान्त आवष्यक हो गई।जिसके लिए बहुमत का समर्थन आवष्यक हो गया और यह विना परंपरागत रूप से हासिये पर रहने वाले समुदायों के राजनीतिक समर्थन के संभव नहीं था।फलस्वरूप उस समुदाय के दरवाजे पर उन्हें राजनीतिक समर्थन के लिए झोली फैलानी पडी, जिसके रास्ते से गुजर जाने से गंगाजल छिडकते थे।इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का आधार लोकतांत्रिक षासन प्रणाली ने ही प्रदान किया है ।

लोकतंत्र

आज के समय की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतंत्र है।लोकतंत्र दो षब्दों से मिलकर बना है 'लोक' और 'तंत्र'।'लोक' का अर्थ वह 'सम्पूर्ण जनता' है जो सम्बंधित देष में निवास करती है 'तंत्र' का अर्थ 'षासन' है अर्थात लोकतंत्र वह षासन प्रणाली है जिसमें जनता का षासन हो।इस सन्दर्भ में अमेरिकी राश्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाशा का उल्लेख करना नितांत आवष्यक है ''लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा षासन है।'' भारतीय सन्दर्भ में लोकतंत्र को प्रो. आलोक पंत के अनुसार इस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है कि ''लोकतंत्र वह षासन प्रणाली है जिसमें सभी जाति, धर्म, भाशा, क्षेत्र और लिंग को समान रूप से षासन में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो ।प्रो. आलोक पन्त ने इससे आगे भी कहा है कि इतना कह देने से ही काम नहीं चलेगा वरन इसकी सिद्धि के लिए कुछ पूर्व आवष्यकताएं है जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते है कि ''लोकतंत्र वह षासन है जिसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक स्तर पर प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में स्वतंत्र एवं निश्पक्ष रूप से प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, जिसमें निर्णय तो बहुमत से लिए जाएँ परन्तु अल्पमत के हित को भी सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके ।क्योंकि बहुमत निर्णय की पद्धति है न कि षासन की ।''

सामाजिक परिवर्तन

समाज गतिषील होता है।परिवर्तन समाज का स्वभाव है।विश्व का कोई भी ऐसा समुदाय नहीं होगा जो परिवर्तन से अछूता हो।सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है समाज में होने वाला परिवर्तन।इसको और अधिक स्पश्ट करने के लिए 'समाज' और 'परिवर्तन' दोनों षब्दों के अर्थ को जानना नितांत आवष्यक है।समाज सामाजिक संबंधों का जाल है ।परिवर्तन एक प्रक्रिया है ।जिसकी व्याख्या सापेक्ष रूप से ही की जा सकती है ।इस प्रकार परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो एक स्थिति विषेश से दूसरी स्थिति की ओर निरंतर गतिषील रहती है ।अंततः हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें समाज के विभिन्न पक्षों के बीच के संबंधो में बदलाव दिखाई देता हो ।मैकाइवर ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''समाज सामाजिक संबंधों का जाल'' है इस लिए सामाजिक परिवर्तन इस सामाजिक संबंधों के जाल में परिवर्तन है।इसे और अधिक स्पश्टता से भारत में सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण के आधार पर इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं ।जैसे परंपरागत भारतीय समाज की विभिन्न जातियों में पदसोपान का कठोरता से पालन होता था ।परन्तु स्वतंत्रता के पष्चात सभी को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जाने के कारण अब सार्वजनिक जीवन में सभी जातियाँ समान रुप से भागीदार होती देखी जा सकती है ।वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक ढांचें ने सबको एक साथ खड़ा कर दिया है ।

लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन – षोधपत्र के इस चरण में हम यह अध्ययन करेंगे कि लोकतांत्रिक षासन प्रणाली को अपनाने के कारण किस प्रकार से परंपरागत भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।इसमें सबसे पहले हम यह स्पश्ट करना चाहते हैं कि संसदीय षासन प्रणाली अपनाने के कारण उसी दल को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है जिसे निम्न सदन (लोक सभा)में बहुमत प्राप्त हो। चूंकी वर्तमान समय में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 543 है।इसलिए बहुमत के लिए 272 सदस्यों का समर्थन नितांत आवष्यक है ।यही तथ्य राज्यों के सन्दर्भ में भी लागू होती है।जैसा कि हम पहले यह स्पश्ट कर चुके हैं कि भारत सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्टि से बहुल समाज है ।जिनके हितों में कुछ समानताये और कुछ भिन्नताएं स्पश्ट रूप से दिखाई देती हैं।इस लिए बहुमत प्राप्त करने के लिए आवष्यक है कि विभिन्न जातियों और समुदायों का चुनाव में समर्थन प्राप्त हो। दूसरी बात यह भी है कि परंपरागत रूप से उच्च जातियों को अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए राजनीतिक सफलता आवष्यक लगने लगी।इस लिए बहुमत की आवष्यकता, सभी को समान राजनीतिक अधिकार ने उच्च जातियों को परम्परागत रूप से हासिये पर रहने वाली जातियों जिनमें विषेश रूप से अनुसूचित जातियों के समक्ष राजनीतिक समर्थन के लिए लाकर खडा कर दिया ।

इसको और अधिक स्पश्ट करने के लिए भारतीय संविधान में किये गए कुछ उपबंधों का उल्लेख करना भी नितांत आवष्यक है।जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढाने में सहायक हैं ।सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समान हैं इसकी घोशणा के साथ सभी को समान कानूनी संरक्षण की बात करता है ।इस उपबंध ने परंपरागत भारतीय समाज में पोशित असमानता को समाप्त किया ।अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंष, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निशेध किया गया है ।इसके आगे अनुच्छेद 16 के द्वारा सभी नागरिकों को सार्वजनिक पदों पर नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध है ।इससे आगे भी अनुच्छेद 17 ने भारतीय समाज में कलंक के रुप में प्रचलित अष्पृष्यता को समाप्त करने की घोशणा की। जिसके अनुपालन के 1955में अष्पृष्यता निवारण अधिनियम पारित किया। जिसका संषोधित रूप 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में आया ।ये उपबंध जहां एक ओर भारतीय समाज में हासिये पर रहने वाले समुदायों को समान घोशित करते हुए समान कानूनी संरक्षण प्रदान करते है तो अनुच्छेद 126 सभी भारतीय वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है ।यही नहीं लोकसभा, राज्य सभा, और विधान सभा में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया जिसका परिणाम बहुत ही दूरगामी सिद्ध हो रहे हैं ।एक तरफ जहाँ बहुमत की प्राप्ति के लिए परम्परागत रूप से हासिये पर रहने वाली जातियों को साथ लेकर चलना आवष्यक हो गया । इस राजनीतिक आवष्यकता ने सामाजिक रूप से भी उन जातियों को एक साथ लाने का कार्य किया जो कि जो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर विभाजित थी ।

इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम भी दिखाई देने लगा वह यह कि एक तरफ सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के कारण समाज में विभिन्न जातियाँ एक दूसरे के करीब आई तो दूसरी तरफ लोकसभा राज्यसभा और विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण समाज के उन कुलीनों के साथ उक्त जातियों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में संसद और विधान मंडल में एक साथ बैठने का अवसर समानता के साथ प्राप्त हुए।इससे उन्हें न केवल नीतियों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुए वरन निर्णय में प्रभावषाली भूमिका का अवसर भी प्राप्त हुआ ।परिणाम यह हुआ कि इस राजनीतिक अधिकार ने उन्हें समाज में समानता का अवसर व्यावहारिक रूप से भी प्राप्त हो गया ।

Volume : 3 | Issue : 8 | Aug 2013 | ISSN - 2249-555X

इस प्रकार से स्पश्टतः लोकतांत्रिक षासन प्रणाली अपनाने के कारण समाज के विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है ।इसको और अधिक स्पश्ट करने के लिए हम दो अध्ययन संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहेंगे ।प्रथम तो विधान सभा के चुनाव में मूलरूप से अनुसूचित जाति आधारित दल के विधान सभा हेतु, क्षत्रिय प्रत्यासी के क्षेत्र में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में दिखाई दिया है ।इसमें हमने पाया कि चूंकी जैसा कि हम पूर्व में इस बात की चर्चा कर चुके है कि उच्च जातियों को अपनी राजनीतिक सफलता के लिए अनुसूचित जाति का समर्थन आवष्यक है, वही स्थिति इस क्षेत्र में स्पश्ट रूप से दिखाई दे रही थी क्यो कि क्षत्रिय प्रत्यासी की जीत के लिए अनुसूचित जाति के मतदाताओं का सहयोग नितांत आवष्यक हो गया।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्यासी समर्थकों ने स्वयं और अपने साथियों को विना विवाद किये चुनाव कार्यालयों पर इनके हाथ से परोसा हुआ खाना खाया और पानी पीया ।अब उस स्थिति के सापेक्ष इस स्थिति को देखिये तो दिखाई दे रहा है कि उच्च जातियां उसी जाति पास जाकर सहयोग पाने के लिए उनके हाथ का परोसा हुआ खाना खाने से भी परहेज नहीं कर रही हैं जो किसी जमाने में उनके रास्ते से गुजर जाने के पष्चात गंगाजल का छिडकाव किया करते थे ।समाज के विभिन्न जातियों के बीच संबंधों की प्रकृति में इस प्रकार के परिवर्तन का अवसर लोकतांत्रिक षासन प्रणाली ने प्रदान किया है ।

इसी प्रकार पंचायत चुनाव ने भी परम्परागत रूप से उच्च जातियों के व्यवहार में और अधिक परिवर्तन लाने का कार्य किया है।जिससे पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर विभाजित जातियों को एक साथ लाकर खडा कर दिया है। चूंकी पंचायत चुनाव में भी सफलता अपनी जाति के समर्थन से ही संभव नहीं है। इसके अलावा उस जाति के अन्य प्रत्यासी भी होते हैं इस लिए हासिये पर रहने वाली जातियों के सहयोग के लिए उन्हें अपने दरवाजे पर आने पर बैठने के लिए कुर्सी देते हुए दिखाई दे रहे है। साथ ही उनके लिए पानी और चाय का भी प्रबंध भी कर रहे हैं। यद्यपि कहीं कहीं हमने यह पाया है कि उनके लिए अलग कप रखते है। किन्तु जब हम इस स्थिति को परम्परागत भारतीय समाज के सापेक्ष देखते है तो यह परिवर्तन सकारात्मक दिषा समेटे हुए है ।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन में हमने यह पाया है कि परम्परागत भारतीय समाज में अष्पृष्यता जैसी कुरीति प्रचालन में रही है। समाज का विभाजन पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर पाया गया है। जिसमें व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उसके कर्म से न किया जाकर उसके जन्म से ही तय होता था। जिसमें सबसे खराब स्थिति तो अनुसूचित जाति की थी जिसके साथ अछूत का वर्ताव होता था ।परन्तु स्वतंत्रता के उपरान्त देष में संसदीय लोतंत्र को अपनाया गया जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को विना किसी भेदभाव के समान कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया, साथ ही साथ उन्हें बराबर राजनी. तिक अधिकार प्रादान किये राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जाने के कारण बहुमत के लिए इन समुदायों के समर्थन की विवषता उच्च जातियों के समक्ष उपस्थित हुई ।परिण ामस्वरूप समाज के विभिन्न जातियों में आदान प्रदान बढता हुआ दिखाई दे रहा है।इस प्रकार जो कार्य हजारों वर्श में नहीं हो सका था वह कार्य लोकतांत्रिक षासन प्रणाली ने प्रारंभ किया और इस दिशा में निरंतर प्रगतिषील है ।

REFERENCE जे.पी सिंह – सामाजिक परिवर्तन ,रवींद्र नाथ मुखर्जी – भारतीय समाज ,राम आहूजा – भारतीय समाज, ब्रज किषोर षर्मा– भारतीय संविधान ,दुर्गादास बासु – भारतीय संविधान एक परिचय ,एस एम् सईद – भारतीय राजव्यवस्था ,ए पी अवस्थी –भारतीय षासन और राजनीति।